UPME010095952026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी एक्ट मेरठ।

उपस्थितः अमित वीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे0ओ0कोड यू0पी06240

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–3444/2026

राशिद पुत्र इसहाक, निवासी–439 सराय बहलीम, थाना कोतवाली, जिला मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/अभियोजन

मु0अ0सं0–172 सन् 2022
वाद संख्या–1891/2023
धारा–452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0
व धारा 3(2) 5क एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना–कोतवाली, जिला– मेरठ।

दिनांकः 06.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त राशिद पुत्र इसहाक की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–172 सन् 2022, वाद संख्या–1891/2023, धारा–452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2) 5क एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना कोतवाली, जिला मेरठ के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार– दिनांक 14.09.2022 को समय करीब 3:00 बजे वादी राजू के साथ राशिद उर्फ हफीजी पुत्र इसाक, निवासी सराय बहलीम, थाना कोतवाली, जिला मेरठ ने घर में घुसकर मारपीट की जान से मारने की धमकी दी और उसे गाली गलौंच कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया कि चमार हम तुझे नहीं छोड़ेंगे तेरा घर बिकवा देंगे। उसका मैडिकल थाने पर हो चुका है। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः आधार यह लिया गया है कि उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त थाने से जमानत पर है। इससे पूर्व अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जारी समन अथवा वारंट की कोई जानकारी नहीं थी जिस कारण वह न्यायालय हाजिर नहीं हो सका था। अभियुक्त गरीब परिवार का व्यक्ति है जो मजदूरी

करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अभियुक्त की वादी मुकदमा से मामूली कहा सुनी हुई थी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अभियुक्त ने कोई गाली नहीं दी न ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है। अभियुक्त दिनांक 27.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त न्यायालय की सन्तुष्टि में उचित जमानत देने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया।

5. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पूर्व में थाने से जमानत पर था। विवेचक द्वारा मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियुक्त के विरूद्ध मामला सात साल तक की सजा से दण्डनीय है। अभियुक्त लगभग दस दिन से जिला कारागार में निरूद्ध है।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त राशिद पुत्र इसहाक की ओर से मु0अ0सं0–172 सन् 2022, वाद संख्या–1891/2023, धारा–452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2) 5क एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना कोतवाली, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा रूपया 20,000/– का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

दिनाकः 06.07.2026

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट
मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी०6240

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.07.07 16:33:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court